

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/वि०चि०पदा०-12/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० प्रेरणा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसव रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी, सीतामढी द्वारा दिनांक-01.09.2022 से 04.09.2023 तक कुल-369 (तीन सौ उनहत्तर) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 एव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-1920(25), दिनांक-22.09.2022 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात डा० प्रेरणा कुमारी का 361 (तीन सौ एकसठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-12/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक 23/09/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढी/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी, सीतामढी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढी/ डा० प्रेरणा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसव रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।